

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ नूतन" सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निर्जा क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, त्रिवेणी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/58/2003/उ.शि.-38 दिनांक 22-7-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION


No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhinyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/58/2003/HE/38 dated 22-7-2003 constituting the "Triveni International University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

पंजीयन क्रमांक 176 ]  
रायपुर, अठारहवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176 ]

रायपुर, अठारहवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, के.जी.एन. विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/158/2003/उ.शि.-38 दिनांक 15-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/158/2003/HE/38 dated 15-9-2003 constituting the "KGN University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/सौ. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एन. आई. आई. टी. विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/215/2003/उ.शि.-38 दिनांक 24-10-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एक्ज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/215/2003/HE/38 dated 24-10-2003 constituting the "NIIT University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, ए. सी. एन. इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/160/2003/उ.शि.-38 दिनांक 24-10-2003, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/160/2003/HE/38 dated 24-10-2003 constituting the "ACN International University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग”  
सो. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, ए.आई.एम. विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/140/2003/उ.शि.-38 दिनांक 25-8-2003, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sihapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/140/2003/HE/38 dated 25-8-2003 constituting the "AIM University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/सौ. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

#### अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अंकुर विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/123/2003/उ.शि.-38 दिनांक 5-8-2003, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/123/2003/HE/38 dated 5-8-2003 constituting the "Ankur University " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीशन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सो. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, शैलेस्ट्रीयल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/172/2003/उ.शि.-38 दिनांक 9-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्वाय निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyanam) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/172/2003/HF/38 dated 9-9-2003 constituting the "Celestial University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, क्रिस्टल इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/157/2003/उ.शि.-38 दिनांक 15-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.--In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthanana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F. 73/157/2005/HE/38 dated 15-9-2003 constituting the "Crystal International University, Raipur" for the following reasons:--

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एच. एल. प्रजापति, सचिव

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई; दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुमं/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर,

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दिवाकिर्ती विश्वविद्यालय, रायपुर को स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/110/2003/उ.शि.-38 दिनांक 26-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निर्धि 30-जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/110/2003/HE/38 dated 26-8-2003 constituting the "Diwakeerti University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सौ. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 मन 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दून इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/162/2003/उ.शि.-38 दिनांक 24-10-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्नाम निर्धि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त रशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/162/2003/HE/38 dated 24-10-2003 constituting the "Doon International University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग,  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शके 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक नं. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, डॉ. एस. जी. रेड्डी विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/98/2003/उ.शि.=38 दिनांक 19-8-2003, एतद्द्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस यात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एलाउ में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/98/2003/HE/38 dated 19-8-2003 constituting the "Dr. S. G. Reddy University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, डॉ. जाकिर हुसैन नेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/117/2003/उ.शि.-38 दिनांक 6-8-2003. एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Shapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/117/2003/HE/38 dated 6-8-2003 constituting the "Dr. Zakir Husain National University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, ग्राम्य भारती विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/166/2003/उ.शि.-38 दिनांक 1-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एकाग्र में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sihapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/166/2003/HE/38 dated 1-9-2003 constituting the "Gramya Bharti Vishwavidyalaya, Mahasamund " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुग/सौ. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क. 2 मन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में आने हुए, राज्य सरकार, इंडियन नेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/96/2003/उ.शि.-38 दिनांक 22-7-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निर्धि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके कब्जे में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/96/2003/HE/38 dated 22-7-2003 constituting the "Indian International University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (चिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इंडियन विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/679/79/2002/उ.शि.-38 दिनांक 11-10-2002, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार चिन्त्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके अधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एजेंड में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F.73/679/79/2002/HE/38 dated 11-10-2002 constituting the "Indian University" for the following reasons:—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/दुग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/97/2003/उ.शि.-38 दिनांक 25-8-2003. एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांश अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No-F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/97/2003/HE/38 dated 28-8-2003 constituting the "Jawahar Lal Nehru University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीवन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दु.सं. आ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आपाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 मन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लखनौ विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/115/2003/उ.शि.-38 दिनांक 11-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांश अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास तिथि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyanam) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/115/2003/HE/SS dated 11-8-2003 constituting the "Lovely University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दर्शन" सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक, 20 जुलाई 2004—आषाढ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, गैजट में एम.एन.आर. एण्ड ए.एस.आर.के. विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/39/2003/उ.शि.-38 दिनांक 25-3-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (ii) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूला परिषद स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (ii) के अनुसार भूमि दे या उसके मूल्य में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sihapana Aur Viniyamani) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/39/HE/38 dated 25-3-2003 constituting the "MNR & ASRK University, Raipur" for the following reasons :-

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, मन्त्रि.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, महर्षि मारकण्डेय विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/161/2003/उ.शि.-38 दिनांक 6-9-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांश अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/161/2003/HE/38 dated 6-9-2003 constituting the "Maharshi Markndeshwar University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, श्री जैन सर्वोदय विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/169/2003/उ.शि.-38 दिनांक 22-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetrā Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/131/2003/HE/38 dated 20-9-2003 constituting the "Shri Jain Sarvodaya University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नेशनल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/128/2002/उ.शि.-38 दिनांक 29-11-2002, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके परिसर में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/128/2002/HE/38 dated 29-11-2002 constituting the "National Technological University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्म/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."-

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/घ/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नेताजी सुभाषचंद्र बोस कम्प्यूटर ग्रामीण विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-44/90/उ.शि./2002 दिनांक 16-12-2002 एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि दे या इसके पत्र में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyayam) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-44790/HE/2002 dated 16-12-2002 constituting the "Netaji Subash Chandra Bose, Computer Gramin Vishwavidyalaya, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव,

“बिजनेस पोस्ट के’ अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, गण्य सरकार, न्यू एज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/138/2003/उ.शि.-38 दिनांक 27-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का पशु-परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि दे या उसके जयत्र में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/138/2003/HE/38 dated 27-8-2003 constituting the "New Age International University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/घ/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, प्रियदर्शिनी आस्था विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/90/2003/उ.शि.-38 दिनांक 30-7-2003. एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके गवर्नर में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyanan) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/90/2003/HE/38 dated 30-7-2003 constituting the "Priyadarshini Astha University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दूरी" सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 मन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/66/2003/उ.शि.-3S दिनांक 25-6-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमै अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके कब्जे में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/66/2003/HE/38 dated 25-6-2003 constituting the "Rajeev Gandhi University, Durg " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38.सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ऑ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आपाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डाँऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/99/2003/उ.शि. 38 दिनांक 19-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sihapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/99/2003/HE/38 dated 19-8-2003 constituting the "Shahid Bhagat Singh International University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई; दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ताते हुए, राज्य सरकार, शिवमुद्रा विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/131/2003/उ.शि.-38 दिनांक 10-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके अधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एजेंड में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/131/2003/HE/38 dated 10-9-2003 constituting the "Shivmudra University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दृगं/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजो क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, सुप्रीम विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/150/2003/उ.शि.-38 दिनांक 30-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कार्यों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके अधिकृत क्षेत्र में विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि हेतु उसके पत्रों में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/150/2003/HE/38 dated 30-8-2003 constituting the "Supreme University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2001.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, स्वराज विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/125/2003/उ.शि.-38 दिनांक 22-9-2003, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांश अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/125/2003/HE/38 dated 22-9-2003 constituting the "Swaraj University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग,  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, डॉ. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश, थामथ विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/112/2003/उ.शि.-38 दिनांक 29-7-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित शर्तों से निरस्त करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विधि विधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या अन्यथा भूमि के अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/112/2003/HE/38 dated 29-7-2003 constituting the "Thamath University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विज्ञान पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, आई. एम. ई. यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/86/2003/उ.शि.-38 दिनांक 18-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार निकाय निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस दान का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/86/2003/HE/38 dated 1-8-2003 constituting the "IME University of Technology, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुमं/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एण्ड एजुकेशन प्रमोशन विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/139/2003/उ.शि.-38 दिनांक 1-10-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस यात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके अधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके भूजल में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/139/2003/HE/38 dated 1-10-2003 constituting the "University for Research & Education Promotion, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आगाद 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. —छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-7376/2003/उ.शि.-38 दिनांक 9-6-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल्या परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1)(a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamam) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/63/2003/HE/38 dated 9-6-2003 constituting the "University of Central India, Raipur " for the following reasons:—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़:दुर्ग,  
सो. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/156/2003/उ.शि.-38 दिनांक 30-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/156/2003/HE/38 dated 30-8-2003 constituting the "Chhattisgarh University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/रा.सं. श्री. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, सृष्टि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/140/2002/उ.रा. -38 दिनांक 16-12-2002, एतद्वारा, निम्नलिखित प्रावणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/140/HE/2002 dated 16-12-2002 constituting the "Sruathi University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/सुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, विवेकानंद नेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/194/2003/उ.शि.-38 दिनांक 23-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyanam) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/194/2003/HE/38 dated 23-9-2003 constituting the "Vivekanand National University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विज्ञान पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 गन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, श्री. एन. जी. विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/111/2003/उ.शि.-38 दिनांक 14-8-2003, एतद्वारा, निर्माणाख्त कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार नियत निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवम में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1)(a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/111/2003/H/E/38 dated 14-8-2003 constituting the "VNG University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार,

एन. एल. प्रजापति, सचिव

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. —छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वेस्टर्न इंडिया विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/187/2003/उ.शि.-38 दिनांक 25-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एक्ज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/187/2003/HE/38 dated 25-9-2003 constituting the "Western India University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सि. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. —छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/189/2003/उ.शि.-38 दिनांक 1-10-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांश अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार धर्म है या उसके पदज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/187/2003/HE/38 dated 25-9-2003 constituting the "National University of Modern Management, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक नं. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, टेकहार्ट विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/132/2003/उ.शि.-38 दिनांक 22-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Stipana Aur Viniyama) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/132/2003/HE/38 dated 22-9-2003 constituting the "Techar University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अन्ना टेक्नालॉजीकल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/212/2003/उ.शि.-38 दिनांक 10-10-2003, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांशे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/T/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/212/2003/HE/38 dated 10-10-2003 constituting the "Anna Technological University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main-campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“त्रिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़ शासन  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विरवविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन् 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य मन्त्र, ए.आर.डी.ई.ई. विश्वविद्यालय, रायपुर को स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/195/2003/उ.शि.-38 दिनांक 30-8-2003, एन.द.शा. निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशरथे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूल्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके मूल्य में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Shapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/110/2003/HE/38 dated 30-8-2003 constituting the "ARDEE University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अदिशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 मंग 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, बी.आई.आई.जी.एस. वैली विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/178/2003/उ.शि.-38 दिनांक 23-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinayaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/178/2003/HE/38 dated 23-9-2003 constituting the "BIIGS Valley University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एन. प्रजापति, सचिव.

“विज्ञानस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ऑ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 मन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, आई.एम.एम.ग्लोबल-विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/145/2003/उ.शि.-38 दिनांक 30-5-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Vjswavidhyalya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/145/2003/HE/38 dated 30-8-2003 constituting the "IMM Global University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अतंशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालाजी विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/164/2003/उ.शि.-38 दिनांक 22-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांश अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/164/2003/HE/38 dated 22-9-2003 constituting the "Institute of Management Technology University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ऑ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मुख्य सरकार, इंटरनेशनल ट्रायबल टेक्नीकल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/114/2003/उ.शि.-38 दिनांक 8-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्वास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/114/2003/HE/38 dated 8-9-2003 constituting the "International Tribal Technical University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़, दुर्ग, सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आगाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. —छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मानव रचना विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/146/2003/उ.शि.-38 दिनांक 1-9-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि 8 या उसके एकर में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/46/2003/HE/38 dated 1-9-2003 constituting the "Manav Rachna University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“दिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग,  
सो. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दारू कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. — छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 ( क्र. 2 सन 2002 ) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, श्रीमद् राधावल्लभभाचार्य वैद्य विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/129/2003/उ.शि.-38 दिनांक 6-2-2003, पत्रद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके पत्र में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-129/2002/HE/38 dated 6-2-2003 constituting the "Srimad Radha Vallabhacharya Bharat Vidya Vishwavidyalaya, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दि. छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल वि. वि. ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एण्ड लाइफ साइंस विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. ए.नं. 73/40/2003/उ.शि.-38 दिनांक 27-5-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamani Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/40/HE/38 dated 27-5-2003 constituting the "The Chhattisgarh International University of Biotechnology & Life Sciences, Raipur," for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

• अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एक्वाटेक विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/136/2003/उ.शि.-38 दिनांक 16-10-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/136/2003/HE/38 dated 16-10-2003 constituting the "Aqatech University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. —छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर इंश्योरेंस एण्ड फायनेंसियल मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/191/2003/उ.शि.-38 दिनांक 16-10-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरस्त करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July, 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.---In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji-Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002); the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/191/2003/HE/38 dated 16-10-2003 constituting the "International University for Insurance & Financial Management, Raipur" for the following reasons :---

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुरां/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004. —छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दि ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/116/2003/उ.शि.-38 दिनांक 6-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशायी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswasidhyalaya (Sthapana Aur Viyanjan) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F. 33/16/2003/RE-38 dated 6-8-2003 constituting the "The Global University, Raipur" for the following reasons:—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“दिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/33 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीपन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक नं. 93/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी ऑफ आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/199/2003/उ.शि.-38 दिनांक 24-10-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशांश अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मूला परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/199/2003/HE/38 dated 13-10-2003 constituting the "University of ITM, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़-गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, कामर्शियल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/183/2003/उ.शि.-38 दिनांक 16-10-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके पत्र में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/183/2003/HE/38 dated 16-10-2003 constituting the "Commercial University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मंगलमय विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/147/2003/उ.शि. 38 दिनांक 30-8-2003. एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का भूखण्ड परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/147/2003/HE/38 dated 30-8-2003 constituting the "Mangalmay University, Raipur" for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सं. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दारू कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/न/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दि. स्टेट्स यूनिवर्सिटी, बिलासपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/119/2003/उ.शि.-38 दिनांक 23-8-2003, एतद्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विनियम निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyamana) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/119/2003/HE/38 dated 23-8-2003 constituting the "The States University, Bilaspur" for the following reasons:—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक नः 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, बुद्धा विश्वभारती विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/177/2003/उ.शि.-38 दिनांक 16-10-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/177/2003/HE/38 dated 16-10-2003 constituting the "World Buddha Foundation Boddha Yatan Bodh Gaya, Bihar " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. आं./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, टी. ए. एस. एम. ए. सी. विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/67/2003/उ.शि.-38 दिनांक 1-8-2003, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :—

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त दशमि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/67/2003/HE/38 dated 1-8-2003 constituting the "TASMAC University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. प्रजापति, सचिव।

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/सो. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2004—आषाढ़ 29, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

अधिसूचना

क्रमांक न. 193/अ.नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वी. आई. टी. एस. विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73/148/2003/उ.शि.-38 दिनांक-7-1-2003, एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय उक्त-दर्शाये अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (1) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि दे या उसके एवज में अतिरिक्त राशि जमा की गयी है.

Raipur, the 20th July 2004

## NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidhyalaya (Sthapana Aur Vinnyaman Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/148/2003/HE/2002 dated 7-1-2003 constituting the "BITS University, Raipur " for the following reasons :—

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish an Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. प्रजापति, मंत्रि.